फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

[illegible] व अन्य बनाम अशोक कुमार इत्यादि किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न.249 सन् 2024

[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]		

अपील पत्रावली में रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से पूर्व में अधिवक्ता श्री गिरधर सिंह भाटी की ओर से केवियटर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो सहवन से अपील पत्रावली में लगने से रह गया। आज उभय पक्ष की पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री गिरधर सिंह भाटी उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का का कोई बेचान इकरार नहीं किया गया है तथा न ही कोई प्रतिफल लिया गया है। इतना ही नहीं बेचान इकरार के आधार पर राजस्व न्यायालय में कोई वाद भी नहीं लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपने पड़ौसी पूनाराम के खेत में नलकूप खुदवाया तथा उसके नाम से कनेक्शन लिया, जिसके सारे बिजली बिल अपीलांट्स द्वारा जमा करवाये गये। उक्त नलकूप वर्ष 2022 से बंद पड़ा हुआ है तथा मौके पर से ट्रांसफर भी हटा दिया गया है। वादी कृषक न होकर व्यापारी है तथा अपीलार्थी संख्या एक का बहनोई होने से अपीलार्थी से उक्त भूमि का आधा हिस्सा मुकदमे के बल पर प्राप्त करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पश्चात आदेश 39 के आज्ञात्मक प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में मनमाने ढंग से वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा कर अपीलार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। न्याय हित में अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2024 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 101 बीघा में सें 91 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा द्वारा जरिये बेचान इकरार खरीद की गई है तथा प्रतिफल राशि 11,65,000 अपीलांट्स को अदा की जा चुकी है तथा मौके पर भौतिक कब्जा रेस्पोडेंट संख्या एक के पास है। वादग्रस्त आराजी के मौके पर रेस्पोडेंट संख्या एक का मकान बना हुआ है। अपीलांट संख्या एक रेस्पोडेंट संख्या एक का साला है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जिसने छल–कपट से वादग्रस्त आराजी को अपने नाम करवा लिया है। रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अग्रीमेंट दिनांक 22.08.2020 की फोटो–प्रति मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 755 व 757 ग्राम केशवनगर की 45.10 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक के पिता भंवरलाल को 2,00,000/– रूपये सालाना इजारे पर दिया जाना प्रतीत होता है, जिससे प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या एक का कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में विचाराधीन खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते पक्षकारान् में विवाद न तो तथा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अदालत हाजा के आदेश प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधिसम्मत निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर